

फाइल सं. ई-11016/01/2021-हिंदी / 1335  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग  
नई दिल्ली, दिल्ली: 28.11.2022

**विषय:** राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85वीं बैठक का आयोजन।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2022 (बुधवार) को 11:00 बजे (पूर्वाह्न) समिति कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है। बैठक की कार्यसूची संलग्न है। कृपया इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

**संलग्नक यथोपरि**



(सज्जन कुमार)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23714374

**सेवा में,**

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप-सचिव(नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर-II भवन, बी विंग, चौथा तल, जल सिंह रोड़, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

\*\*\*\*\*

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की राजभाषा समिति की होने वाली 85वीं बैठक की कार्यसूची

| मद सं. | विषय   |
|--------|--|
| 1.     | जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 05.09.2022 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।  |
| 2.     | दिनांक 05.09.2022 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई। (अनुबंध-I)  |
| 3.     | क्रमशः दिनांक 30.09.2022, 30.06.2022, 31.03.2022, तथा 31.12.2021 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में हिंदी के प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति। (अनुबंध-II) |
| 4.     | राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित विषयों अर्थात् धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करने के बारे में विचार विमर्श।             |
| 5.     | राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विचार-विमर्श।   |
| 6.     | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद।  |